

गृह (ग्रुप-6) विभाग

भारत मंत्रालय, जयपुर

डिनांक 1440

दिनांक 10/5/12

क्रमांक: प.16(8)गृह-9 / 2011

राजस्थान सरकार

गृह (ग्रुप-9) विभाग

जयपुर, दिनांक:-

- 8 MAY 2017

--:: अधिसूचना ::-

राज्य सरकार ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट-1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम-19) की धारा-2 के उपधारा (8) (ग) और (घ) एवं भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 21/20/62 पोल-1 दिनांक 04.05.1963 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कम्पनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के सेक्शनलाईजिंग स्टेशन नं. 35 के लिए ग्राम कुराड तहसील सांगोद जिला कोटा की 0.25 हैक्टर भूमि को शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के तहत सुरक्षा की दृष्टि से निम्नांकित सीमाओं वाले क्षेत्र को उक्त प्रावधानानुसार प्रतिषिद्ध स्थान घोषित करती है। उससे सम्बन्धित सूचना देना या उसको नष्ट करना या बाधा पहुँचाना या हस्तक्षेप करना शत्रु के लिए उपयोगी होगा।

--:: सीमा का विवरण ::-

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के सेक्शनलाईजिंग स्टेशन नं. 35 के लिए ग्राम कुराड तहसील सांगोद जिला कोटा की 0.25 हैक्टर भूमि को शासकीय गुप्त अधिनियम, 1923 के तहत प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित करने के संबंध में क्षेत्र के चारों दिशाओं की क्रमशः स्थिति निम्न प्रकार है :-

पूर्व - खसरा नं 0 1668/2042 रकबा 0.16 है 0

पश्चिम - खसरा नं 0 1668/2041 रकबा 0.80 है 0

उत्तर - खसरा नं 0 1651/2.36 है 0

दक्षिण - खसरा नं 0 1668/2041 रकबा 0.80 है 0

राज्यपाल की आज्ञा से,

(चेतन देवडा)

शासन संयुक्त सचिव

गृह (आपदा प्रबन्धन) विभाग

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
3. जिला कलक्टर, कोटा।
4. निदेशक, लेखन सामग्री एवं मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर दिनांक ..... के असाधारण राजपत्र में प्रकाशनार्थ मय सी.डी.।
5. प्रबन्धक, कम्पनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ग्राम कुराड तहसील सांगोद जिला कोटा।
6. उप शासन सचिव गृह ग्रुप-6 विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

(शासन संयुक्त सचिव  
गृह (आपदा प्रबन्धन) विभाग